छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ:माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक 967/2004

संतोष कुमार

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

एवं

दांडिक अपील क्रमांक 954/2004

गब्बर पटेल एवं दो अन्य

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थीगण गब्बर पटेल और हीरालाल की ओर से अधिवक्ता श्री पुष्पेंद्र पटेल अधिवक्ता ।

अपीलार्थी लखनलाल की ओर से अधिवक्ता श्री गुरूदेव शरन अधिवक्ता ।

अपीलार्थी संतोष कुमार की ओर से अधिवक्ता श्री वी.के. पाण्डेय अधिवक्ता ।

राज्य की ओर से अधिवक्ता श्री यू. के. एस. चन्देल पैनल अधिवक्ता ।

निर्णय

(दिनांक 13.01.2006 को सुनाया गया)

यह निर्णय दांडिक अपील संख्या 967/2004 (संतोष कुमार द्वारा प्रस्तुत) एवं दांडिक अपील संख्या 954/2004 (गब्बर पटेल, लखन लाल एवं हीरालाल द्वारा प्रस्तुत) को शासित करेगा, जो दिनांक 13.10.2004 को तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक न्यायालय) द्वारा सत्र प्रकरण संख्या 231/2004 में पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जिसके अंतर्गत उपरोक्त दोनों अपीलों के अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 399 एवं 402 तथा आयुध अधिनियम की धारा 25(1–बी)(ए) एवं 25(1–बी)(बी) के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया था और उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 399 के अन्तर्गत 7 (सात) वर्ष का कठोर कारावास तथा 100 (एक सौ) रुपये का जुर्माना; जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक मामले में 1 (एक) माह का अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया गया । भारतीय दंड संहिता की धारा 402 के अन्तर्गत 7 (सात) वर्ष का कठोर कारावास तथा 100 (एक सौ) रुपये का जुर्माना; जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक मामले में 1 (एक) माह का अतिरिक्त कठोर कारावास। आयुध अधिनियम, 1959 की धाराओं के अंतर्गत धारा 25(1–बी)(ए) के अंतर्गत 3

(तीन) वर्ष का कठोर कारावास तथा 100 (एक सौ) रुपये का जुर्माना; जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक मामले में 1 (एक) माह का अतिरिक्त कठोर कारावास। धारा 25(1–बी)(बी) के अंतर्गत 3 (तीन) वर्ष का कठोर कारावास तथा 100 (एक सौ) रुपये का जुर्माना; जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक मामले में 1 (एक) माह का अतिरिक्त कठोर कारावास के अंतर्गत दोषसिद्ध कर उपरोक्तानुसार दंडादेश दिया गया था।

2. संक्षेप में अभियोजन कथा यह है कि थानाप्रभारी, थाना चाम्पा, रमेश पाण्डेय अ. सा. 7 को 16–17 अप्रैल 2004 की दरम्यानी रात को सूचना प्राप्त हुई कि गाँव सोंठी में नहर के पास 6–7 अपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति, जो खतरनाक हथियारों से लैस थे, एकत्रित हुए थे और गाँव में डकैती करने की तैयारी कर रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को सूचित करने के पश्चात, रमेश पाण्डेय घटनास्थल पर गए और अपीलार्थियों सहित तीन अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। अपीलार्थी गब्बर के पास एक देशी पिस्तौल तथा 303 बोर की एक कारतूस बरामद की गई, जिसे प्रदर्श पी–1 के तहत जब्त किया गया। इसी प्रकार, अपीलार्थी हीरालाल के पास से भी एक देशी पिस्तौल एवं एक जीवित कारतूस पाई गई, जिसे प्रदर्श पी–2 के तहत जब्त किया गया। अपीलार्थी संतोष से एक लंबा व नुकीला चाकू, जिसका एक तरफ तलवार जैसा धार था तथा जिसकी लंबाई 14.50 इंच थी, प्रदर्श पी–4 के तहत जब्त किया गया। इसी प्रकार, अपीलार्थी लखन से 10 जूट बम प्रदर्श पी–5 के तहत बरामद किए गए। घटनास्थल से एक एलएमएल फ्रीडम मोटर वाहन, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर CG12–B–5245 था, भी जब्त किया गया। जब्त की गई देशी पिस्तौलों को रक्षित निरिक्षक को जांच हेतु प्रदर्श पी–17 के तहत भेजा गया। प्रधान आरक्षक श्री जुगल किशोर सिंह अ.सा. 16 द्वारा उक्त हथियारों की जांच की गई और उन्होंने राय दी कि दोनों देशी पिस्तौलें कार्यशील अवस्था में थीं तथा दोनों कारतूस जीवित (लाइव) थे। इसके आधार पर, जांजगीर–चंपा के कलेक्टर द्वारा प्रदर्श पी–11 के तहत आयुध अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत आरोपी अपीलार्थियों गब्बर पटेल, हीरालाल, लखन व संतोष सहित तीन अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात, अपीलार्थियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 399, 402 तथा आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25(1–बी)(ए) व 25(1–बी)(बी) के अंतर्गत अभियोग चलाया गया। अपीलार्थियों ने अपराध किये जाने से इनकार करते हुए निर्दोष होने का अभिवाक किया तथा बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। अभियोजन पक्ष ने कुल 7 साक्षीयों का परीक्षण कराया। विचारण न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करते हुए कण्डिका 1 (उपरोक्त) में वर्णित अनुसार दंडादेश पारित किया गया। सह–अभियुक्त प्रमोद कुमार, विजय कुमार एवं निर्मल कुमार, जो उक्त अपीलार्थियों के साथ डकैती की तैयारी करते पाए गए थे, का मामला किशोर न्यायालय में पृथक रूप से विचारण हेतु भेजा गया।

4. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में **चतुरी यादव एवं अन्य बनाम बिहार राज्य (1979) 3 एस.सी.सी. 430** के मामले का अवलंब लिया है। उनका मुख्य तर्क यह है कि गाँव के तालाब के पास 7 व्यक्तियों का एकत्र होना मात्र और उनसे देशी पिस्तौल व कारतूसों का बरामद होना, भारतीय दंड संहिता की धारा 399 और धारा 402 के तहत उनका अपराध स्थापित नहीं होता है। अपीलार्थियों के अधिवक्ता ने अपने तर्क को और सुदृढ़ करने के लिए असलम परवेज़ एवं अन्य बनाम एनसीटी दिल्ली सरकार, 2003 क्रि.लॉ जर्नल 2525 (सुप्रीम कोर्ट) के निर्णय का भी अवलंब लिया है । उन्होंने जोर देकर कहा कि इस मामले में पेश किये गए

सभी लोक साक्षियों, विशेष रूप से प्रमोद कुमार पटेल अ.सा –1 और बिजुराम यादव अ.सा –2 ने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में, विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों पर दायित्व अधिरोपित करने के लिए केवल पुलिस कर्मियों के बयानों पर पूर्णतया निर्भर रहना एक गंभीर त्रुटि थी। अपीलार्थियों के अधिवक्ता ने अपने तर्क को और सुदृढ़ करने के लिए**छोटे (मृत) एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य,** 2004 **क्रि.लॉ जर्नल** 2384 के निर्णय का भी अवलंब लिया है । उन्होंने जोर देकर कहा कि निरिक्षक रमेश पाण्डेय अ.सा.–7 की गवाही से यह स्पष्ट नहीं होता कि जब्त की गई देशी पिस्तौलें, कारतूस, तलवार जैसा चाकू और जूट बमों को उचित तरीके से सीलबंद किया गया था। अपीलार्थियों के विरुद्ध यह आरोप होने के बावजूद कि वे डकैती करने हेतु पूर्ण रूप से सज्जित थे, उन्होंने गिरफ्तारी के समय न तो भागने का प्रयास किया और न ही गोली चलाकर प्रतिरोध किया। अतः, अपीलार्थियों से बरामद किए गए अस्त्र–शस्त्र एवं गोला–बारूद का साक्ष्य विश्वसनीय ढंग से सिद्ध नहीं हो पाया। इस आधार पर, अपीलार्थी दोषमुक्त होने के हकदार हैं। श्रवण एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में दिए गए निर्णय, जो 1992 (2) विधि भास्कर 237 में प्रकाशित हुआ है, को भी इस तर्क के समर्थन में उद्धृत किया गया कि अभियुक्त व्यक्तियों के बीच डकैती करने की तैयारी के संबंध में हुई बातचीत साबित नहीं की जा सकी, और इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 399 तथा 402 के अंतर्गत अपराध अपीलार्थियों के विरुद्ध स्थापित नहीं किया जा सका। यह भी जोरदार तरीके से तर्क दिया गया कि अपीलार्थियों के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत अभियोग चलाने हेतु (अनुमति) का प्रदान किया जाना यथोचित रूप से साबित नहीं किया गया था। अतः आयुध अधिनियम , 1959 की धारा 25(1-बी)(ए) तथा धारा 25(1-बी)(बी) के अंतर्गत अभियोग भी अपीलार्थियों के विरुद्ध साबित नहीं किया जा सका। वहीं, राज्य की ओर से विद्वत् अधिवक्ता ने सत्र न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. विवाद के तथ्यों पर विचार करने के पश्चात, मैंने सत्र प्रकरण संख्या 231/2004 के अभिलेख का भी अवलोकन किया है। न तो निरिक्षक रमेश पांडेय अ.सा -7 और न ही आरक्षक धनुष कुमार पांडेय अ.सा. -4 जिन्होंने अपीलार्थियों को नहर के निकट पकड़ा था, ने यह बयान दिया कि उन्होंने अभियुक्तों के बीच ऐसी कोई बातचीत सुनी थी। यद्यपि यह आरोप लगाया है कि अभियुक्तगण घातक हथियारों से सज्जित थे, किंतु न तो किसी हथियार का प्रयोग किया गया और न ही उनकी ओर से कोई प्रतिरोध किया गया। स्वतंत्र लोक साक्षियों अर्थात प्रमोद कुमार पटेल अ.सा. -1 एवं बिजूराम यादव अ.सा. -2 ने अभियोजन पक्ष प्रस्तुत कहानी का समर्थन नहीं किया तथा उन्होंने बयान दिया कि पुलिस ने नहर के निकट उनकी उपस्थिति में कोई भी जब्ती कार्रवाई नहीं की थी और उन्हें इस घटना के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। आरक्षक धनुष कुमार पांडेय अ.सा -4 ने अपने बयान केकण्डिका - 8 में कहा है कि वह यह नहीं बता सकते कि अपीलार्थियो से कौन-कौन से हथियार जब्त किए गए थे। उनका कण्डिका -8 में दिया गया यह बयान, उनके कण्डिका -2 में दिए गए बयान से पूर्णतः विरोधाभास रखता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अपीलार्थी डकैती करने की तैयारी कर रहे थे तथा उनसे देशी पिस्तौल, गंडासे जैसी चाकू और तलवार जब्त की गई थी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस साक्षी ने यह नहीं बताया कि किसी भी अपीलार्थी से कोई जूट बम जब्त किया गया था। निरिक्षक रमेश पांडेय अ.सा -7 के गवाही की बात करें तो, उन्होंने भी यह नहीं बताया कि उन्होंने अपीलार्थियों को डकैती करने की तैयारी करते हुए सुना था। साक्षी द्वारा अपीलार्थियों की कोई भी बातचीत नहीं सुनी गई थी। उनकी गवाही से यह प्रदर्शित नहीं होता कि देशी पिस्तौलों, कारतूसों एवं जूट बमों को अपीलार्थियों से जब्त करने के तुरंत बाद सीलबंद किया गया था। यहाँ

तक कि जब्ती पत्रक प्रदर्श पी-1, पी-2, पी-4 एवं पी-5 से भी यह स्पष्ट नहीं होता कि उपर्युक्त देशी पिस्तौलें, कारतूस, तलवारनुमा चाकू एवं जूट बम सीलबंद किए गए थे।

6. जब्ती पत्रक प्रदर्श पी-1, पी-2, पी-4 तथा पी-5 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जब्ती दिनांक 17/04/2004 को की गई थी, जबकि निरिक्षक रमेश पांडेय द्वारा रक्षित निरिक्षक को भेजा गया ज्ञापन दिनांक 22/05/2004 का है। न तो किसी जब्ती पत्रक पर मुहर का कोई निशान है और न ही रक्षित निरिक्षक को भेजे गए अनुरोध पत्र प्रदर्श पी-17 से यह प्रतीत होता है कि हथियारों को सीलबंद कर जांच हेतु भेजा गया था। लोक साक्षी अर्थात प्रमोद कुमार पटेल (साक्षी-1) तथा बिजूराम यादव (साक्षी-2)के किसी भी पुष्टिकरण के अभाव में, तथा अपीलार्थियों की बातचीत सुनने संबंधी किसी भी साक्ष्य के अभाव में,अपीलार्थियों से उक्त वस्तुओं की जब्ती अत्यंत संदिग्ध प्रतीत होती है। रोजनामचा सान्हा प्रदर्श पी-14 दिनांक 17/04/2004, जिसे निरिक्षक रमेश पांडेय अ.सा. 7 ने तैयार किया था, स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि आरक्षक धनुष कुमार पांडेय अ.सा. 4), स्वतंत्र साक्षी प्रमोद कुमार पटेल अ.सा.1 तथा बिजूराम यादव अ.सा. -2 को पूर्ण अंधकार में रखते हुए उन्हें प्राप्त गुप्त सूचना की पुष्टि करने हेतु स्थल का निरीक्षण करने के लिए अग्रिम दल के रूप में भेजा गया था। स्थल पर जाँच करने के पश्चात, उन्होंनेसूचित किया कि 6-7 व्यक्ति परस्पर वार्तालाप कर रहे थे तथा डकैती करने की तैयारी कर रहे थे। हालाँकि,अभियोजन पक्ष द्वारा इस प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।धनुष कुमार पांडेय अ.सा. -4 की गवाही,उनके कण्डिका 8 में दिए गए बयान के आलोक में,पूर्णतः अविश्वसनीय है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. **चतुरी यादव एवं अन्य बनाम बिहार राज्य (1979) 3 एस.सी.सी. 430** के मामले में, जिसे अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था कि अपीलार्थी डकैती करने के उद्देश्य से एकत्र हुए थे या उन्होंने ऐसा करने के लिए कोई तैयारी की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि केवल यह तथ्य कि अपीलार्थियों को रात्रि 1:00 बजे पाया गया, अपने आप में यह सिद्ध नहीं करता कि वे डकैती करने या उस उद्देश्य को पूरा करने की तैयारी के लिए एकत्र हुए थे। न्यायालय ने आगे यह भी अभिनिर्धारित किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 399 एवं 402 के अंतर्गत अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप का समर्थन करने के लिए कोई विधिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। छोटे एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2004 क्रि. एल. जे. 2384 के मामले में, अपीलार्थियों से बरामद किए गए किसी भी वस्तु को सीलबंद नहीं किया गया था। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष, अपीलार्थियों के दोष को उचित संदेह से परे सिद्ध करने में सफल नहीं हो सका। वर्तमान मामले में भी, संपूर्ण अभियोजन कहानी अत्यधिक संदिग्ध प्रतीत होती है। अपीलार्थी गब्बर पटेलसे बरामद देशी पिस्तौल,हीरालालसे तलवार जैसी चाकू, तथालखन कुमार से 10 जूट बमों की बरामदी भी विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा सिद्ध नहीं की गई है। लोक साक्षी ने निरिक्षक रमेश पांडेय अ.सा. -7 के बयान की पुष्टि नहीं की। यहाँ तक किधनुष कुमार पांडेय अ.सा.-4 ने भी अपने बयान के कण्डिका 8 में, अपने मुख्य परीक्षा में दिए गए बयान से पूर्णतः पलटी खाई है। **असलम परवेज़ एवं अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 2003 क्रि.एल.जे. 2525 (एस.सी.)** के मामले में, आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 (28 of 1987) के तहत एक मामले में, रिवॉल्वर और कारतूसों के कब्ज़े को सिद्ध नहीं माना गया, क्योंकि मामले में पेश किए गए लोक साक्षियों ने घटना के संबंध में अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया है। साथ ही, यह भी प्रदर्शित नहीं किया जा सका कि ये लोक साक्षी किसी भी तरह से अभियुक्तों से संबंधित थे या उनके पास ऐसा कोई कारण था कि वे अपीलार्थियों की मदद करने के लिए

झूठा बयान देते और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करते। यह सिद्धांत वर्तमान मामले पर पूर्ण रूप से लागू होता है।**श्रवण एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1992 (2) विधि भास्कर 237** के मामले में, चूँकि अभियुक्त व्यक्तियों के बीच हुई बातचीत को इस संदर्भ में विशिष्ट रूप से सिद्ध नहीं किया जा सका कि प्रस्तावित डकैती का शिकार किसे बनाया जाना था, और चतुरी यादव मामले (उपरोक्त) पर भरोसा करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 399 एवं 402 के अंतर्गत कोई अपराध सिद्ध नहीं होता है।

8. अभियोजन पक्ष ने इस मामले में अपीलार्थियों के विरुद्ध अभियोजन हेतु जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुमति प्रदर्श पी. 11 की परीक्षण भी नहीं करवाई है।केवल एक लिपिक एम.पी. वर्मा अ.सा.-3, जो जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में कार्यरत था, को परीक्षण कराया है , जिसने यह सिद्ध किया कि उसने अनुमति पत्र पर अपने संक्षिप्त हस्ताक्षर किए थे, किंतु अपने साक्ष्य में कहीं भी उसने यह नहीं बताया कि अनुमति आदेश पर जिला दण्डाधिकारी के हस्ताक्षर थे। आयुध अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत अपीलार्थियों के विरुद्ध अभियोजन हेतु वैध अनुमति के प्रमाण के अभाव में,आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)(ए) व 25(1-बी)(बी)के अंतर्गत आरोप भी विफल हो जाता है।

10. निरिक्षक रमेश पाण्डेय अ.सा.-7 के बयान पर भी संदेह उत्पन्न होता है क्योंकि यद्यपि अपीलार्थियों के पास देशी पिस्तौल, कारतूस एवं जूट बम होने का आरोप लगाया गया था और उन पर डकैती की तैयारी करने का आरोप था, फिर भीन तो उन्होंने भागने का प्रयास किया और न ही गिरफ्तारी से बचने के लिए गोलीबारी की। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से यह भी प्रदर्शित नहीं होता कि अपीलार्थियों ने अपनी गिरफ्तारी के समय कोई प्रतिरोध किया था। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए,अभियोजन पक्ष की कहानी अत्यधिक संदिग्ध प्रतीत होती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अपीलार्थियों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने तथा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्य का संपूर्णता से मूल्यांकन करने के उपरांत, मैं इस विचारित मत पर पहुँचा हूँ कि अपीलार्थियों के विद्वान अर्धिवक्ता द्वारा उठाए गए तक ठोस एवं सारगर्भित हैं तथा अपीलार्थी संदेह का लाभ पाकर सभी आरोपों से दोषमुक्त होने के हकदार हैं।

12. परिणामस्वरूप,दांडिक अपील संख्या 967/2004 एवं दांडिक अपील संख्या 954/2004 स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थियों के विरुद्ध दोषसिद्धि एवं दंडादेश को अपास्त किया जाता है तथा उन्हें सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया जाता है। अपीलार्थियों कोतत्काल रिहाकिया जाए, यदि वे किसी अन्य मामले में आवश्यक न हों। यदि जुर्माना अदा किया गया हो तो उसे अपीलार्थियों को वापस कर दिया जाए।

सही /-

दिलीप रावसाहेब देशमुख,
न्यायाधीश

"अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।"

Translated By Yashpal Singh

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur